


आदेश

श्री राजीव बैरवा, फार्मासिस्ट, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोविन्द नगर, जयपुर को अग्रिम आदेश तक मा.राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास (स्वतंत्र प्रभार) जन अभियोग निराकरण, अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर के कार्यालय में कार्य व्यवस्था के तहत लगाया जाता हैं।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2019/485

दिनांक : 10-07-2019

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 1 विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3 निजी सहायक, मा.राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास (स्वतंत्र प्रभार) जन अभियोग निराकरण, अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर को उनकी अशा टीप संख्या आर-318 दिनांक 14.06.2019 के क्रम में।
- 4 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 5 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, संभाग-जयपुर।
- 6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम, जयपुर।
- 7 संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
- 8 संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- 9 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 10 आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर